

## अध्याय 2

### टीडीएस/टीसीएस प्रावधानों के क्रियान्वयन में प्रभावकारिता

2.1 यह अध्याय आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) के टीडीएस/टीसीएस प्रावधानों तथा सुसंगत नियमों से संबंधित मामलों की चर्चा करता है। हमने टीडीएस/टीसीएस से संबंधित अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में सभी पणधारकों की प्रभावकारिता देखने के लिए निर्धारण प्रभारों के टीडीएस सर्कल/वार्डों तथा संवीक्षा निर्धारणों के सत्यापन मामलों की जांच की। हमने ₹ 2,952.27 करोड़ के कर प्रभाव वाले 1,481 मामलों में चूके पाई जिसकी चर्चा इस अध्याय में की गई है।

### 2.2 एओ (टीडीएस) द्वारा कर की गैर/कम कटौती/संग्रहण पर ब्याज लगाने में विफलता

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि अधिनियम की धारा 201(1ए)/206सी(7) के संदर्भ में, ऐसे 168 मामले देखे गए जहां कर कटौतीकर्ता/संग्रहणकर्ता कर की गैर/कम कटौती तथा संग्रहण हेतु चूक में थे तथा इसीलिए वे ब्याज भुगतान के लिए दायी थे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 902.16 करोड़ की ब्याज राशि सहित कर का संग्रहण नहीं हुआ/कम हुआ। ऐसे चार निदर्शी मामले बॉक्स 2.1 में दर्शाए गए हैं।

#### बॉक्स 2.1: एओ (टीडीएस) द्वारा कर की गैर/कम कटौती /संग्रहण पर ब्याज लगाने में विफलता से संबंधित निदर्शी मामले

अधिनियम की धारा 201(1) अनुबंधित करती है कि कोई भी व्यक्ति जिसे अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किसी कर राशि की कटौती करना अपेक्षित है, कटौती नहीं करता या भुगतान नहीं करता या ऐसी कटौती करने के पश्चात कर को पूर्ण रूप से या एक भाग का भुगतान करने में विफल होता है तो ऐसे व्यक्ति को ऐसे कर के संदर्भ में एक चूककर्ता निर्धारित माना जाएगा। इसके अलावा, धारा 201(1ए) अनुबंधित करती है कि ऐसा व्यक्ति जब से ऐसा कर कटौती योग्य था तब से लेकर ऐसे कर की कटौती की जाने की तिथि तक ऐसे कर की राशि पर प्रत्येक माह अथवा माह के भाग के लिए एक प्रतिशत पर तथा जब से ऐसे कर की कटौती की गई थी तब से लेकर ऐसे कर का वास्तव में भुगतान होने तक की तिथि तक ऐसे कर की राशि पर प्रत्येक माह अथवा माह के एक भाग के लिए एक तथा डेढ़ प्रतिशत पर साधारण ब्याज के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा।

क. दिल्ली में, सीआईटी (टीडीएस)-। प्रभार, वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए मै. केएमपी एक्सप्रेसवेज लिमिटेड के सत्यापन आदेश मार्च 2014 में धारा 201(1)/201(2ए) के तहत पारित किया गया। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि यद्यपि निर्धारित कम्पनी ने सरकारी खाते के लिए ₹ 7.00 करोड़ पर कटौती किए गए कर को जमा नहीं किया था तथापि, आईटीडी ने टीडीएस जमा न करने के कारण धारा 201(1ए) के तहत ब्याज का उदग्रहण नहीं किया। इस चूक के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 12.04 करोड़ कर को जमा नहीं किया गया। आयकर विभाग ने उत्तर दिया (मई 2016) कि सीआईटी (टीडीएस) ने धारा 201(1) के तहत पारित आदेश को खारिज करते हुए धारा 263 के तहत आदेश पारित किया।

ख. कर्नाटक में, सीआईटी (टीडीएस) प्रभार, वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए मै. किंगफिशर एयरलाइन लिमिटेड के सत्यापन आदेश को जुलाई 2014 में धारा 201(1)/201(1ए) के तहत पारित किया गया। लेखापरीक्षा ने देखा कि आईटीडी ने धारा 201(1ए) के अन्तर्गत ₹ 10.22 करोड़ की बजाय ₹ 6.23 करोड़ पर ब्याज उदग्रहित किया। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 3.99 करोड़ के ब्याज का कम उदग्रहण हुआ।

धारा 206सी(1) अनुबंधित करती है कि एक विक्रेता होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति अधिनियम में निर्दिष्ट प्रकृति की किसी मद के क्रेता से क्रेता के खाते के लिए क्रेता द्वारा देय राशि की कटौती करते समय अथवा नकद अथवा चेक या ड्राफ्ट में जारी करके या अन्य किसी प्रकार से कथित क्रेता से ऐसी राशि की प्राप्ति के समय जो भी पहले हो, पर आयकर के रूप में ऐसी राशि की निर्दिष्ट प्रतिशतता के समान राशि का संग्रहण करेगा। इसके अलावा, धारा 206सी(7) अनुबंधित करती है कि यदि कर संग्रहण करने हेतु उत्तरदायी व्यक्ति कर का संग्रहण नहीं करता अथवा कर के संग्रहण के पश्चात इस धारा के तहत अपेक्षित रूप में इसका भुगतान करने में विफल होता है तो वह जब से कर संग्रहण योग्य था तब से लेकर वास्तव में कर का भुगतान होने की तिथि तक ऐसी कर राशि पर एक प्रतिशत प्रति माह अथवा उसके भाग की दर पर साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

ग. कर्नाटक में, सीआईटी टीडीएस प्रभार, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसके दिनांक 01 सितम्बर 2011 के आदेश में गठित मॉनीटरिंग समिति (एमसी) ने ई-नीलामी के माध्यम से खनन पट्टों में लौह अयस्क तथा मेंगनीज अयस्क के मौजूदा स्टॉक, कर्नाटक के बेल्लारी, तुमकुर तथा चित्रदुर्ग के जिलों में स्टॉकयार्ड को बेचने का निर्देश दिया। एमसी ने वि.व. 2012-13

से 2014-15 तक के दौरान ₹ 17,310.00 करोड़ के लौह अयस्क की कुल बिक्री की थी। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि न तो एमसी ने स्रोत पर कर संग्रहित किया न ही सीआईटी (टीडीएस), बेंगलोर ने स्रोत पर कर संग्रहण में एमसी की विफलता के प्रति आवश्यक कार्रवाई प्रारम्भ की। इस चूक के परिणामस्वरूप स्रोत पर ₹ 173.10 करोड़ कर का संग्रहण नहीं हुआ।

घ. सीआईटी (टीडीएस) प्रभार, उडीसा में, लेखापरीक्षा ने उपनिदेशक खनन, जयपुर रोड (कर संग्रहणकर्ता) कार्यालय के अभिलेखों से यह पाया कि वि.व. 2012-13 से 2014-15 तक के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र कम्पनियों के अलावा खनन पट्टों से रायल्टी के रूप में ₹ 718.56 करोड़ प्राप्त किए। यह पाया गया कि कर संग्रहणकर्ता ने 2012-13 की प्रथम तिमाही को छोड़कर सभी तिमाहियों के लिए कर संग्रहण विवरण फाइल नहीं किया। यह देखा गया कि कर संग्रहणकर्ता ने स्रोत पर ₹ 718.56 करोड़ पर कर संग्रहित नहीं किया था। इस चूक के फलस्वरूप ₹ 14.37 करोड़ के कर का संग्रहण नहीं हुआ।

विभाग द्वारा धारा 201(1ए)/206सी(7) के अन्तर्गत ब्याज के उदग्रहण कर की समय पर कटौती/संग्रहण तथा सरकारी खाते के अन्दर इसको जमा करने के संदर्भ में अनुपालन न होने के प्रति एक निवारक के रूप में कार्य करता है। एओ (टीडीएस) द्वारा चूकपूर्ण कर कटौतीकर्ताओं पर ब्याज का गैर/कम उदग्रहण प्रावधानों के क्रियान्वयन को कमजोर बनाता है।

### 2.3 शास्ति कार्रवाईयां आरम्भ करने की विफलता

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि अधिनियम की धारा 271सी/271सीए के संदर्भ में ऐसे 311 मामले देखे गए जहां स्रोत पर कर की गैर-कटौती /संग्रहण के कारण कर कटौतीकर्ताओं के प्रति आईटीडी द्वारा शास्ति कार्रवाईयां आरम्भ नहीं की गईं। बॉक्स 2.2 में दो ऐसे निदर्शी मामले देखे गए हैं।

#### बॉक्स 2.2: शास्ति कार्रवाईयां आरम्भ करने की विफलता से संबंधित निदर्शी मामले

अधिनियम की धारा 271सी अनुबंधित करती है कि यदि कोई व्यक्ति अध्याय XVII-बी के प्रावधानों के तहत अपेक्षित रूप में सम्पूर्ण कर अथवा उसके एक भाग की कटौती करने अथवा धारा 194बी या धारा 115-ओ की उपधारा (2) के दूसरे परन्तुक द्वारा अथवा उसके तहत अपेक्षित रूप में कर के सम्पूर्ण या किसी भाग का भुगतान करने में विफल होता है तो ऐसा व्यक्ति उस कर की राशि के समान राशि का शास्ति के तरीके से भुगतान

करने हेतु दायी होगा जिसकी कटौती या भुगतान करने में वह विफल हुआ था। इसके अलावा, धारा 271सीए के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति अध्याय XVII-बीबी के तहत अपेक्षित रूप में कर को सम्पूर्ण अथवा किसी भाग के संग्रहण में विफल होता है तो ऐसा व्यक्ति उस कर जिसके संग्रहण में वह व्यक्ति विफल हुआ, की राशि के समान राशि का शास्ति के तरीके से भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

**क.** महाराष्ट्र में, सीआईटी(टीडीएस) थाणे प्रभार, मै. ब्लू स्टार रियलटर्स (प्रा.) लिमिटेड के मामले में, धारा 201(1)/201(1ए) के तहत नि.व. 2014-15 के लिए ₹ 32.19 करोड़ के कर भुगतान पर 10 प्रतिशत के दर पर धारा 194ए के तहत कर की कटौती न करने के लिए फरवरी 2015 में ₹ 3.22 करोड़ की मांग का निर्धारण करने वाला एक आदेश पारित किया गया। हालांकि यह देखा गया कि शास्ति लगाने के लिए एओ द्वारा कार्रवाई नहीं की गई।

डीसीआईटी (टीडीएस) सर्कल, थाणे ने उत्तर दिया (फरवरी 2016) कि शास्ति कार्रवाईयां आरम्भ करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को एक प्रस्ताव भेजा गया था।

**ख.** दिल्ली में, सीआईटी-VI प्रभार, नि.व. 2011-12 के लिए मै. टरनर जनरल एन्टरटेन्मेंट नेटवर्क इंडिया लिमिटेड का संवीक्षा निर्धारण मार्च 2014 में पूर्ण किया गया। निर्धारिती ने कर की कटौती न होने के कारण वापिस की गई आय में धारा 40(ए)(आईए) के तहत ₹ 54.49 करोड़ संकलित किए थे। लेखापरीक्षा ने देखा कि शास्ति लगाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। विभाग ने आपत्ति को स्वीकार किया तथा निर्धारिती को नोटिस जारी करके शास्ति कार्रवाईयां आरम्भ की।

आयकर अधिनियम में दंड प्रावधानों का प्रयोजन कानून का अनुपालन लागू करना तथा कर चूककर्ताओं के प्रति निवारक के रूप में कार्य करना है। अनुपालन न होने के ऐसे मामलों ने प्रावधानों के निवारक प्रभाव को दुर्बल किया।

## 2.4 अभियोजना कार्यवाही करने में विफलता

लेखापरीक्षा ने देखा कि एओ (टीडीएस) ने 343 कटौतीकर्ताओं के प्रति धारा 276बी/276बीबी/278ए के प्रावधान का उपयोग नहीं किया जहां कर स्रोत से काटा/एकत्र किया गया था लेकिन अधिनियम के अंतर्गत अभियोजना कार्यवाही करने की नियत तिथि के अंदर जमा नहीं किया गया था। दो ऐसे उदाहरण बॉक्स 2.3 में दर्शाये गये हैं।

### बॉक्स 2.3: अभियोजन कार्यवाही करने में विफलता से संबंधित निर्दर्श मामले

धारा 276बी/276बीबी या 278ए में प्रावधान है कि सभी मामले जहां टीडीएस/टीएससी काटा/एकत्र किया गया लेकिन निर्धारित अनुसार, नियत तिथि के अंदर जमा नहीं किया गया था कानून के तहत दण्डनीय है। कार्यवाही हेतु सीबीडीटी की मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार, टीडीएस/टीसीएस चूक के मामले, जहां काटा गया/एकत्र कर की राशि एक लाख और अधिक है और उसे अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित नियत तिथि तक जमा नहीं किया गया है उस पर वसूली के अतिरिक्त अभियोजना हेतु अनिवार्य रूप से कार्यवाही की जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त, मामले जहां कर काटा गया/एकत्र किया गया कर ₹ 25,000 और ₹ एक लाख के बीच है और उसे नियत तिथि तक जमा नहीं किया गया उस पर मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार अभियोजना हेतु कार्यवाही की जा सकती है। सीआईटी (टीडीएस), एओ (टीडीएस द्वारा) संदर्भित अभियोजना हेतु धारा 279(1) के अंतर्गत समझौते की मंजूरी देने के लिये सक्षम प्राधिकारी है।

क. आंध्र प्रदेश, सीआईटी (टीडीएस) प्रभार में, मैसर्स आईवीआरसीएल लिमिटेड के मामले जनवरी 2013 में वि.व. 2012-13 हेतु सर्वेक्षण किया गया था। इसके अतिरिक्त, सत्यापन आदेश फरवरी 2013 और जनवरी 2014 में धारा 201(1)/201(1ए) के अंतर्गत पास किये गये थे। एओ ने फरवरी 2013 के अपने आदेश में निर्धारित समय के अंदर सरकारी लेखा में स्रोत पर काटे गये कर को जमा न करने के कारण ₹ 18.20 करोड़ की मांग की। लेखापरीक्षा ने नोटिस किया कि आईटीडी ने धारा 276बी के अंतर्गत अभियोजना कार्यवाही नहीं की थी। आईटीडी ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2015) कि कार्यवाही करने हेतु सीआईटी (टीडीएस) को संदर्भ कर दिया जायेगा।

**ख.** कर्नाटक में, सीआईटी (टीडीएस) प्रभार में, मैसर्स बृहत बेंगलूर महानगर पालिका के मामले में वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु नवम्बर 2014 में सर्वेक्षण किया गया था। इसके अतिरिक्त, फरवरी 2015 में धारा 201(1) और 201(1ए) के अंतर्गत सत्यापन आदेश पास किया गया था। लेखापरीक्षा ने नोटिस किया कि यद्यपि कटौतीकर्त्ता ने स्रोत पर ₹ 2.36 करोड़ काटे गये कर के गैर-प्रेषण की चूक की थी, एओ ने धारा 271सी/271एच के अंतर्गत जुर्माना लगाने का प्रस्ताव भेजा लेकिन धारा 276बी के अंतर्गत अभियोजना कार्यवाही करने में विफल रहा। आईटीडी ने उत्तर दिया (फरवरी 2016) कि उचित सुधारात्मक कार्यवाही की जायेगी।

अभियोजना के प्रावधानों का प्रयोजना नियत तिथि के अंदर कर जमा न करने का दोषी पाये गये कर चूककर्त्ता को सजा देना है और उन लोगों के दिमाग में कानून का डर पैदा करना है जो वैध कर जमा न करने का इरादा रखते हैं। गैर-अनुपालन के ऐसे उदाहरण इन प्रावधानों के क्रियान्वयन में कमी दर्शाते हैं इस प्रकार इसके निवारक प्रभाव को कम करते हैं।

*एक्जिट क्रांफेस के दौरान, सीबीडीटी ने कहा कि समान्य रूप से अभियोजना कार्यवाही केवल प्रमुख चूककर्त्ताओं के प्रति की जाती है ताकि उनकी आईटीडी में श्रमशक्ति की कमी के कारण प्रभावी रूप से जांच की जा सके। तथापि, सभी कर चूककर्त्ताओं के प्रति नोटिस जारी करने हेतु कदम उठाये जा रहे हैं।*

## 2.5 एओ द्वारा व्यय अस्वीकृत करने में विफलता से निर्धारण की गुणवत्ता प्रभावित होती है

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि अधिनियम की धारा 40(ए)(आईए) के संबंध में, 128 मामले देखे गये जहां निर्धारण अधिकारी (एओ) ने इस आधार पर प्रावधानों का उल्लंघन करते हुये व्यय स्वीकृत किया यद्यपि स्रोत पर काटा गया कर काटा नहीं गया था या काटा गया था लेकिन ऐसे भुगतान पर रिटर्न फाइल करने की नियत तिथि से पूर्व जमा नहीं किया था। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 195 के संबंध में 27 मामले देखे गये जहां एओ ने इस आधार पर प्रावधानों का उल्लंघन करते हुये व्यय स्वीकृत किया जहां कर स्रोत पर नहीं काटा गया था। 155 मामलों में गलती के परिणामस्वरूप ₹ 2026.42 करोड़ के कर की कम वसूली हुई। पांच ऐसे उदाहरण बॉक्स 2.4 में दर्शाये गये हैं।

**बॉक्स 2.4: एओ द्वारा व्यय अस्वीकृत करने में विफलता से निर्धारण की गुणवत्ता से संबंधित निदर्शी मामले**

अधिनियम की धारा 40(ए)(आईए) में प्रावधान है कि “कारोबार या व्यवसाय में लाभ और हानि” शीर्ष के अंतर्गत प्रभारयोग्य आय की गणना में व्यय की कटौती अनुमत नहीं है, जिस पर अध्याय XVII-बी के अंतर्गत कर स्रोत पर कटौती योग्य है और ऐसा कर काटा नहीं गया है या कटौती के बाद, धारा 139(1) में निर्धारित नियत तिथि से पूर्व या नियत तिथि को भुगतान न किया हो।

**क.** कर्नाटक में, सीआईटी रेंज-1 प्रभार की निर्धारण वर्ष (नि.व.) 2010-11 के लिये मैसर्स बेंगलूर इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई कम्पनी लिमिटेड की संवीक्षा जांच मार्च 2013 में पूर्ण की गई थी। चूँकि निर्धारण कम्पनी ने ‘उपभोक्ताओं को दिये गये ब्याज’ पर टीडीएस नहीं काटा था, एओ ने ₹ 10.54 करोड़ के व्यय की स्वीकृति नहीं दी। लेखापरीक्षा ने देखा कि एओ ने ‘उपभोक्ताओं को दिये गये ब्याज’ के प्रति लाभ और हानि खाते में डेबिट किये गये ₹ 101.54 करोड़ के वास्तविक व्यय के प्रति ₹ 10.54 करोड़ का आंकड़ा अपनाया। गलती के परिणामस्वरूप ₹ 30.93 करोड़ के कर की कम वसूली से जुड़े ₹ 91.00 करोड़ के व्यय की कम अस्वीकृति हुई।

**ख.** दिल्ली में, सीआईटी-V प्रभार की, निर्धारण वर्ष 2010-11 के लिये मैसर्स प्राइमस बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड की संवीक्षा जांच मार्च 2013 में पूर्ण की गई थी। लेखापरीक्षा ने देखा कि निर्धारण कम्पनी ने मार्च 2010 में धारा 194सी के अंतर्गत ₹ 1.01 करोड़ का टीडीएस काटा लेकिन उसे जनवरी 2012 में सरकारी खाते में जमा किया गया था अर्थात् रिटर्न फाइल करने की नियत तिथि के बाद। तथापि, एओ ₹ 50.52 करोड़ से जुड़ी राशि की अस्वीकृति में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 23.35 करोड़ के कर की कम वसूली हुई।

**ग.** महाराष्ट्र में, सीआईटी-I प्रभार ने वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारण कम्पनी मैसर्स हाउसिंग डिवेलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की संवीक्षा जांच फरवरी 2013 में पूर्ण की गई थी। मैसर्स न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीएल) के अभिलेखों से लेखापरीक्षा ने देखा कि यद्यपि निर्धारण कम्पनी ने एनपीसीएल को ₹ 28.68 करोड़ के ब्याज का भुगतान कर दिया था, उस भुगतान के लिये धारा 194ए के अंतर्गत स्रोत पर कर नहीं काटा गया था। तथापि, धारा 40(ए)(आईए) के अंतर्गत एओ

द्वारा कुछ नहीं जोड़ा गया था। गलती के कारण आय का कम निर्धारण हुआ इस सीमा तक कि ₹ 9.75 करोड़ की कम वसूली हुई।

अधिनियम की धारा 195(1) में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति जिसे गैर-प्रवासी, कम्पनी न होने पर या विदेशी कम्पनी को इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्रभारयोग्य कोई भी ब्याज या कोई अन्य राशि का भुगतान करना हो (वेतन शीर्ष के अंतर्गत प्रभारयोग्य आय न होने पर) आदाता के खाते में ऐसी आय के क्रेडिट के समय या भुगतान के समय, जो भी पहले हो, लागू दरों पर उस पर आयकर काटा जायेगा। इसके अतिरिक्त, 01.04.1962 से पूर्वव्यापी प्रभाव से वित्तीय अधिनियम, 2012 में दिये गये स्पष्टीकरण-2 के अनुसार, यह स्पष्ट किया गया है कि उप-धारा(1) का पालन करने की बाध्यता और उस पर कर काटना लागू होगा और हमेशा लागू और विस्तृत समझा जायेगा और हमेशा सभी व्यक्तियों, प्रवासी या गैर-प्रवासी पर हमेशा विस्तारित समझा जायेगा चाहे गैर-प्रवासी व्यक्ति का (i) घर या कारोबार स्थान या कारोबार संबंध भारत में हो या न हो; या (ii) किसी भी तरीके से कोई भी अन्य संबंध भारत में हो या न हो।

घ. कर्नाटक में, सीआईटी रेंज-1 की वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिये मैसर्स एनसिस सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड की संवीक्षा जांच फरवरी 2015 में धारा 92सीए के साथ पठित धारा 143(3) के अंतर्गत पूर्ण की गई थी। लेखापरीक्षा ने देखा कि एओ ने एनसिस आईएनसी, यूएसए और एनसिस यूके लिमिटेड से “तकनीकी सहायता शुक्ल सहित सॉफ्टवेयर लाइसेंस और तकनीकी वृद्धि” की खरीद के प्रति व्यय किये गये ₹ 21.89 करोड़ की राशि के व्यापार व्यय की स्वीकृति दी यद्यपि धारा 195 के अंतर्गत स्रोत पर कर नहीं काटा गया था। इस व्यय की अस्वीकृति की चूक के कारण ब्याज सहित ₹ 10.69 करोड़ के कर की कम वसूली हुई।

ड. हरियाणा में, प्रधान सीआईटी (टीडीएस)-2, ने मैसर्स सत इंटरनेशनल फर्म की संवीक्षा जांच दिसम्बर 2014 में पूर्ण की। लेखापरीक्षा ने देखा कि फर्म ने धारा 195 के अंतर्गत टीडीएस काटे बिना विदेशी कम्पनी को टेलीकम्यूनिकेशन सर्विस और कंसलटेंसी प्रभारों के प्रति क्रमशः ₹ 82.07 लाख और ₹ 10.26 लाख का भुगतान किया। चूक के कारण ₹ 28.53 लाख के कर प्रभाव सहित ₹ 92.33 लाख की आय का कम आकलन हुआ।

कर न काटने या कर काटने लेकिन निर्धारित द्वारा जमा न करने के कारण व्यय की अस्वीकृति में एओ की विफलता, आकलन की गुणवत्ता को प्रभावित करती है।

एक्जिट कांफ्रेंस के दौरान, सीबीडीटी ने कहा कि मामले की जांच की जायेगी और उपरोक्त मामलों पर प्राथमिकता के आधार पर लिया जायेगा।

## 2.6 अचल संपत्ति की बिक्री पर स्रोत पर कर काटने में विफलता

लेखापरीक्षा ने देखा कि, अधिनियम की धारा 194-आईए के संबंध में, 108 मामले जहां विभाग कर कटौतीकर्ता जो अचल संपत्ति की बिक्री पर स्रोत पर कर काटने के लिये उत्तरदायी थे की चूक नोटिस करने में विफल रहा। इस तथ्य के बावजूद कि ₹ 50 लाख से अधिक की अचल संपत्ति की बिक्री/खरीद के लेन-देन पर जानकारी वार्षिक सूचना रिटर्न (एआईआर) के माध्यम से विभाग को रिपोर्ट की गई थी। इसके परिणामस्वरूप ब्याज सहित स्रोत पर ₹ 23.69 करोड़ के कर की कम/कटौती नहीं हुई। ऐसे दो उदाहरण बॉक्स 2.5 में दर्शाये गये हैं।

### बॉक्स 2.5: स्रोत पर अचल संपत्ति की बिक्री पर कर काटने में विफलता के निदर्शी मामले

अधिनियम की धारा 194-आईए में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति जो अंतरिती हो, प्रवासी अंतरणकर्ता को किसी भी अचल संपत्ति (कृषि भूमि को छोड़कर) के अंतरण करने हेतु कोई भी राशि का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी हो, उसको अंतरणकर्ता के खाते में ऐसी राशि क्रेडिट होते समय या ऐसी राशि नकद या बैंक डिमांड ड्रॉफ्ट से जारी करते समय या किसी भी माध्यम से, जो भी पहले हो, उस पर आयकर के रूप में ऐसी राशि की एक प्रतिशत के बराबर राशि काटी जायेगी, बशर्ते अंतरण राशि ₹ 50 लाख से कम का न हो।


क. तमिलनाडु में, सायदापेट और रोयापेट्टाह, चेन्नै, पंजीकरण हेतु जिला रजिस्ट्रार के कार्यालय में बनाये गये संपत्ति पंजीकरण दस्तावेजों की नमूना जांच से पता चला कि 01 जून 2013 से मार्च 2015 की अवधि के दौरान 63 मामलों में, क्रेताओं ने विक्रेताओं को किये गये भुगतान से स्रोत पर कर नहीं काटा यद्यपि संपत्ति के अंतरण हेतु राशि ₹ 50 लाख से अधिक थी। आईटीडी कर चूककर्ताओं के प्रति कार्यवाही करने में भी विफल रहा। चूक के परिणामस्वरूप ब्याज सहित स्रोत पर ₹ 2.76 करोड़ का ब्याज नहीं काटा गया। आईटीडी ने उत्तर दिया (फरवरी 2016) कि सीपीसी (टीडीएस) वैशाली ने अचल संपत्ति (एआईआर के माध्यम से रिपोर्ट की गई) के खरीददारों की सीसीए वार सूची भेजी। जिन्होंने वि.व. 2013-14 और वि.व. 2014-15 के लिये 26क्यूबी फाइल नहीं किया था और कार्यवाही की जायेगी।

**ख.** केरल में, सीआईटी (टीडीएस) कोच्ची प्रभार, लेखापरीक्षा ने यह देखा कि सितम्बर 2013 में मै. कॉमन वेल्थ ट्रस्ट लिमिटेड द्वारा मै. प्यूमिक प्रोजेक्ट्स एण्ड प्रापर्टीज को ₹ 7.65 करोड़ में एक संपत्ति बेची गई और एसआरओ, चेलापुरम, कालीकट ने आयकर विभाग के साथ वार्षिक सूचना विवरणी (एआईआर) के माध्यम से इस उच्च मूल्य लेन-देन को साझा किया। लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि ऐसे लेन-देन पर स्रोत पर कर की कटौती नहीं की गई थी और आईटीडी के संज्ञान में पहले ही यह लेन-देन होने के बावजूद आईटीडी कर चूककर्ता के विरुद्ध कार्रवाई करने में विफल रहा। इस चूक के कारण स्रोत ₹ 7.65 लाख के कर की कम कटौती हुई।

ऐसी घटनायें अचल संपत्ति की बिक्री/खरीद से संबंधित स्रोत पर काटे गए कर की उगाही से संबंधित प्रावधानों को लागू करने में कमी दर्शाती हैं।

## 2.7 निर्धारण एवं टीडीएस इकाइयों के बीच समंवय का अभाव

एओ (टीडीएस), अधिनियम के प्रावधानों के तहत व्यय की गैर अनुमति हेतु संबंधित निर्धारण इकाइयों के लिए टीडीएस प्रावधानों के गैर-अनुपालन की घटनायें देखने पर मामले से संबंधित सूचना दे सकता है। इसी प्रकार, जहां क्षेत्राधिकारी एओ टीडीएस प्रावधानों का गैर-अनुपालन देखता है तो वह करों के संग्रहण के संबंध में आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित इकाइयों को ऐसी सूचना दे सकता है।



लेखापरीक्षा ने 369 मामलों में यह देखा कि निर्धारण इकाइयों और टीडीएस इकाइयों के बीच समंवय का अभाव था क्योंकि टीडीएस प्रावधानों से संबंधित जानकारी अनुपालन हेतु साझा नहीं की जा रही थी। एक ऐसा ही निदर्शी मामला बॉक्स 2.6 में दर्शाया गया है।

### बॉक्स 2.6: निर्धारण इकाइयों और टीडीएस इकाइयों के बीच समंवय के अभाव से संबंधित निदर्शी मामले

क. बिहार में, सीआईटी (टीडीएस) पटना प्रभार, एओ ने दिसम्बर 2014 में नि.व. 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के लिए एक सहकारी समिति, तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड का निर्धारण किया जिसमें धारा 194सी के तहत स्रोत पर कर की कटौती किए बिना ₹ 10.65 करोड़ (₹ 2.72 करोड़ + ₹ 3.26 करोड़ + ₹ 4.67 करोड़) का परिवहन व्यय अनुमत किया गया था। चूंकि स्रोत पर कर की कटौती नहीं की गई थी, मामले को अधिनियम की धारा 40(ए)(आईए) के तहत व्यय की गैर अनुमति हेतु संबंधित निर्धारण इकाई को भेजा जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया।

इस प्रकार, निर्धारण इकाइयों और टीडीएस इकाइयों के बीच समंवय का अभाव था क्योंकि अधिनियम के विभिन्न टीडीएस प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के क्रम में सूचना साझा नहीं की जा रही है।

*एक्जिट कांफ्रेंस के दौरान सीबीडीटी ने बताया कि सीपीसी (टीडीएस) एवं आयकर कारोबार एप्लीकेशन (आईटीबीए) लिंकेज के माध्यम से टीडीएस इकाई और क्षेत्राधिकरण इकाई के बीच ऐसी सूचना साझा करने की प्रक्रिया को शुरू किया गया है। प्रक्रिया शुरूआती चरण में है, और धीरे-धीरे व्यापक सूचना प्रवाह की ओर बढ़ेगी।*

### 2.8 स्रोत पर कर कटौती के प्रति एओज़ द्वारा आय पर ध्यान न देना

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि 27 मामलों में निर्धारिती ने संबंधित प्राप्ति नहीं दशाई थी जिससे उनकी आयकर विवरणियों हेतु कुल आय की गणना से कर की कटौती की गई थी। एओज़ ने भी निर्धारिती के करयोग्य आय की गणना करते समय इस पर ध्यान नहीं दिया जिसके कारण करयोग्य आय कम क्रेडिट हुई और इस प्रकार निर्धारण की गुणवत्ता प्रभावित हुई। एक ऐसा ही निदर्शी मामला बॉक्स 2.7 में दर्शाया गया है।

### बॉक्स 2.7: धारा 198 के प्रावधान का अनुपालन न करने संबंधी निदर्शी मामले

*अधिनियम की धारा 198 में प्रावधान है कि अध्याय XVII के अनुसार काटी गई सभी राशियों की गणना निर्धारिती की आय, प्राप्त होने वाली संभावित आय के लिए की जाएगी, बशर्ते कि निर्धारिती की आय की गणना हेतु धारा 192 की उपधारा (1ए) के अंतर्गत अदा किए जाने वाले कर की राशि को प्राप्त आय के रूप में माना जाएगा।*

असम में, प्रधान सीआईटी-॥ गुवाहाटी प्रभार, धारा 143(3)/153ए के तहत मार्च 2015 में एक निर्धारिती, ऋषि कुमार गुप्ता का नि.व. 2011-12 हेतु निर्धारण किया गया। फार्म 26एएस<sup>3</sup> की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि निर्धारिती की सकल प्राप्तियाँ ₹ 8.87 करोड़ थी और स्रोत पर काटा गया कर ₹ 0.19 करोड़ था। हालांकि, निर्धारिती ने केवल ₹ 4.12 करोड़ की कुल सकल प्राप्त दर्शाई थी और निर्धारिती द्वारा ₹ 0.19 करोड़ के टीडीएस का दावा किया गया था। इस प्रकार, ₹ 4.75 करोड़ की सकल प्राप्तियों को कम बताया गया था जिससे कम करयोग्य आय क्रेडिट हुई।

इस प्रकार, एओ निर्धारण की गुणवत्ता घटाते हुए नियमित निर्धारण के दौरान उपलब्ध निर्धारिती की आय की सूचना का उपयोग करने में विफल रहा।

## 2.9 निष्कर्ष

एओ (टीडीएस) द्वारा कर कटौती में चूककर्ता पर धारा 201(1ए)/206सी(7) के तहत ब्याज की गैर/कम उगाही से प्रावधानों का कार्यान्वयन कमजोर होता है। धारा 271सी/271सीए और 276बी/276बीबी/278ए के तहत क्रमशः जुर्माना न लगाने और अभियोग न चलाने से प्रावधान कमजोर एवं हतोत्साहित हुए। एओ द्वारा व्यय अनुमत न करने की विफलता, जबकि स्रोत पर कर की कटौती नहीं की गई थी अथवा कटौती की गई थी लेकिन निर्धारिती द्वारा जमा नहीं कराया गया था, निर्धारण की गुणवत्ता प्रभावित करती है। कटौतीकर्ता 108 मामलों में अचल संपत्ति की बिक्री पर स्रोत पर कर कटौती करने में विफल रहे। ऐसी घटनाएं अचल संपत्ति की बिक्री/खरीद से संबंधित स्रोत पर काटे गए कर की उगाही से संबंधित प्रावधानों को लागू करने में कमी दर्शाती हैं। निर्धारण इकाइयों और टीडीएस इकाइयों के बीच समंवय का अभाव था क्योंकि अधिनियम के विभिन्न टीडीएस प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के क्रम में सूचना साझा नहीं की जा रही है। इस प्रकार, एओ निर्धारण की गुणवत्ता घटाते हुए नियमित निर्धारण के दौरान उपलब्ध निर्धारिती की आय की सूचना का उपयोग करने में विफल रहा।

3 फार्म 26एएस एक समेकित वार्षिक कर निर्धारण है जिसमें कर संबंधी सभी सूचना (टीडीएस, टीसीएस, प्रतिदाय इत्यादि) एवं पैर से जुड़ी उनकी आय दर्शाता है।

## 2.10 सिफारिश

लेखापरीक्षा की सिफारिश है कि

- क. सीबीडीटी टीडीएस इकाइयों और तत्संबंधी क्षेत्राधिकरण निर्धारण इकाइयों के बीच सूचना का साझाकरण सुनिश्चित करे ताकि राजस्व प्राप्ति प्रयासों में तालमेल हो सके।

*सीबीडीटी ने बताया (दिसम्बर 2016) कि सीपीसी (टीडीएस) और आईटीबीए लिंकेज के माध्यम से टीडीएस इकाई और क्षेत्राधिकरण इकाई के बीच ऐसी सूचना की साझाकरण प्रक्रिया शुरू की गई है।*